तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय ड्यनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र संख्या 14/2023 बउनवान मोडी बाई बनाम सतीस कुमार इस प्रार्थना पत्र के साथ कन्सोलिडेट होकर चलने से उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी साथ में ही किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है– **प्रार्थना पत्र सं– 44/2022 व 14/2023** **बउनवान सीतस कुमार बनाम मोडी बाई व मोडी बाई बनाम सतीस कुमार** **निर्णय** संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार ग्राम बडाखेडा पटवार हल्का बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में खाता संख्या नया 455 पुराना 236 भूमि खसरा संख्या 334 रकबा 2.5000हैक्टर किस्म बारानी प्रथम स्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 का खातेदार प्रार्थी एवं 1/2 का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 मोडी बाई है। अप्रार्थी व उनके पूर्वजो के मध्य काश्तकारी करने के उद्देश्य से बहामी बंटवारा कर रखा था जिसके अनुसार अप्रार्थी मोडीबाई उक्त भूमि के उत्तरी ओर स्थित थी एवं दक्षिणी ओर स्थित 1/2 भाग प्रार्थी ने खरीद किया था जिसके पश्चात् उक्त आराजी के दक्षिणी ओर के भाग पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी के दक्षिणी हिस्से पर बोई गई फसल नष्ट करने पर आमादा है। अप्रार्थी मोडीबाई ने प्रार्थी को बेदखल कर जबरन कब्जा करने की धमकी दे रखी है ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थिया ने प्रार्थी की कब्जे की भमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी का वाद पेश करना बेकार हो जावेगा प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार करना संभव नहीं होगा। अप्रार्थी मोडी बाई ने एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 14/2023 दिनांक 28.03.2023 को पेश कर इसी वाद विषयक आराजी में प्रार्थी को पक्षकार बनाते हुए उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी। दोनो प्रार्थना पत्र में वाद विषयक कृषि भूमि, पक्षकार समान होने एवं एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण उक्त दोनों पत्रावली को न्यायालय के आदेशिका दिनांक 08.08.2024 से कंसोलिडेट किया गया। अप्रार्थी मोडी बाई ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2024 को प्रस्तुत कर कथन किया कि मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थिनी का बाहमी बंटवारा इस प्रकार है कि अप्रार्थिनी मोडीबाई का 1/2 हिस्सा की सहखातेदार है जो कि दक्षिण पूर्वी साइड की तरफ की जो खसरा संख्या 332,353 के सहारे सहारे मुख्य सड़क बडाखेडा से बसवाड़ा की तरफ है एवं इसके अनुसार अप्रार्थिनी काबिज होकर काश्तकारी करती आ रही है। प्रार्थी का 1/2 हिस्सा उत्तर से दक्षिण पश्चिमी साइड की तरफ जो खसरा संख्या 338, 365, 337 के सहारे सहारे स्थित है इसके अनुसार काबिज होकर काश्तकारी करता आ रहा है। अप्रार्थिनी की कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है प्रार्थी तो क्रेता है इसलिए प्रार्थी को तो बंटवारा किया बिना उक्त भूमि को खरीदने का भी अधिकार नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा खारिज योग्य है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली कर पत्रावली बहस में नियत की गयी। पत्रावली आज दिनांक को बहस हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तओं द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्राथी वाद विषयक आराजी की मौका एवं	

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उभयपक्ष की सहमति होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विषयक आराजी जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम बडाखेडा पटवार हल्का बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में खाता संख्या नया 456 पुराना 236 भूमि खसरा संख्या 334 रकबा 2.5000हैक्टर किस्म बारानी में उभयपक्षकारान को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त कृषि भूमि की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेगे एवं एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें। पत्रावली फैसल होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)